

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़
(पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार-1)

राजस्व वाद सं. 39/2025

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादी	वनाम	प्रतिवादीगण
हडा पुत्र रूपा, जाति-सुथार, नि० देवडो की वस्ती रेडाणा तह० गडरारोड़		1. जेता पुत्र रूपा 2. पुरखा पुत्र रूपा, जाति-सुथार, नि० देवडो की वस्ती, रेडाणा, तह० गडरारोड़ 3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलार गडरारोड़ एवं पदेन उप-पंजीयक हरसाणी/गडरारोड़



बाबत विभाजन खातेदारी गूगि व स्थायी निपेघाजा अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 20/11/26

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 27.11.2025 को प्राथमिक डिक्री इस अमर की सादिर की गई कि सरहद मौजा देवडो की वस्ती, पटवार मण्डल-रेडाणा, तह० गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 275 रकवा 15.2809 हैक्टयर तहसील गडरारोड़ जिला वाडमेर का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकॉर्ड वाई मिट्स एण्ड वाउण्ड्स विभाजन किया जाकर विभाजन के प्रस्ताव विभिन्न रंगो में दर्शाते हुए लगान आदि निश्चित कर तहसीलदार गडरारोड़ से चाहे जाने पर तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा निम्नानुसार विभाजन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :- वादीनी की ओर से वकील श्री कंवराज वैनिवाल एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 02 की दिनांक 14.10.2025 को एक तरफा कार्यावाही अमल में लाई जा चुकी है। उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

क.स.	खातेदार का नाम	वर्तमान नाम ग्राम	ख.न.	रकवा	किस्म	वरंग
1.	जेता पुत्र रूपा हि० पूर्ण कोम-सुथार सा.देह खातेदार	देवडो की वस्ती	275	3.2374	वा.सो.	लाल
			275	1.7643	वा.सो.	
			02	5.0017		
2.	पुरखा पुत्र रूपा हि० पूर्ण कोम सुथार सा. देह खातेदार	देवडो की वस्ती	275	5.0936	वा.सो.	पीला
			275	3.1403	वा.सो.	कबुतरी
3.	हडा पुत्र रूपा, हि० पूर्ण सा. देह खातेदार	देवडो की वस्ती	275	1.8615	वा.सो.	
			275	1.8615	वा.सो.	
			02	5.0018	वा.सो.	
4	जेता हडा पि० रूपा, कोम सुथार सा. देह खातेदार	देवडो की वस्ती	275	0.1838	गै.मु. रास्ता	काला

उक्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की उजर आपति लिखित में या मौखिक रूप में प्राप्त नहीं हुई है तथा वादी के अधिवक्ता द्वारा उक्त मामले में उक्त विभाजन के प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री सादिर किये जाने का निवेदन किया गया। फलस्वरूप विभाजन की अंतिम डिक्री तहसीलदार गडरारोड़ के विभाजन प्रस्ताव अनुसार एवं उक्त विभाजन प्रस्ताव बाबत किसी प्रकार की उजर आपति प्राप्त नहीं होने से विभाजन की अंतिम डिक्री सादिर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार सादिर की जाती है :-

क.स.	खातेदार का नाम	वर्तमान नाम ग्राम	ख.न.	रकवा	किस्म	वरंग
1.	जेता पुत्र रूपा हि० पूर्ण कोम-सुथार सा.देह खातेदार	देवडो की वस्ती	275	3.2374	वा.सो.	लाल
			275	1.7643	वा.सो.	
			02	5.0017		
2.	पुरखा पुत्र रूपा हि० पूर्ण कोम सुथार सा. देह खातेदार	देवडो की वस्ती	275	5.0936	वा.सो.	पीला



	हडा पुत्र रूपा, हि0 पूर्ण सा. देह खातेदार	देवडो की बस्ती	275	3.1403	बा.सो.	कबु तरी
			275	1.8615	बा.सो.	
			02	5.0018	बा.सो.	
4	जेता हडा पि0 रूपा, कोम सुथार सा. देह खातेदार	देवडो की बस्ती	275	0.1838	गै.मु. रास्ता	काल I

तहसीलदार गडरारोड को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद और नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा तथा बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20/11/2024 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दखिल दफतर हो।


 सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
 गडरारोड, जिला बाडमेर

